कार्यालय जिला पंचायत लखन्ऊ

पत्रांक 346/नक्शा/नि०वि०/जि०प०/2020-2021 वनस्थली ग्रीन हाउसिग डायरेक्टर श्री रत्नेश कुमार दुबे कार्यालय वरदानखेडा सेक्टर-1 गोमतीनगर, लखनऊ। निर्माण स्थल ग्राम- बसरहिया विकास खण्ड- गोसाईगंज तहसील-मोहनलालगज

जनपद लखनऊ। आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर समयक विचारोपरान्त मा0 अध्यक्ष जी के आदेश दिनांक 01.01.2021 के परिपालन में मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आप द्वारा प्रस्तुत मानचित्र ग्रामसभा बसरहियां विकास खण्ड गोसाईगंज तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ के खसरा संख्या 744, 750, 749, 751क, 754, 755, 758, 751ख, 767, 768, 769 में प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार 10121.00 वर्गमीटर में प्लाटिंग कार्य की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

1-प्रतिबन्ध रहेगा प्लाटिंग कार्य 10121.00 वर्गमीटर का निर्माण कार्य कराया जाये।

2—प्रतिबन्ध रहेगा कि मानचित्र में दर्शित रेनवाटर हारवेंस्टिंग आदि कार्य कराया जाना आवश्यक होगा।

3-प्रतिबन्ध रहेगा कि मानचित्र में दर्शित सीवर प्रणाली, पार्क, रोड, रेनवाटर हारवैस्टिंग आदि कार्य कराया जाना अनिवार्य होगा।

4-प्रतिबन्ध रहेगा कि नियमानुसार सेटफंट एवं बैकफंट छोडा जाना अनिवार्य होगा।

5-प्रतिबन्ध रहेगा कि नगर निगम अथवा लखनऊ विकास प्राधिकरण आने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

6-प्रतिबन्ध रहेगा कि शेष 143 आदेश दो माह के अन्दर प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7—प्रतिबन्ध रहेगा कि रेरा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में पजीकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक होगा।

8-प्रतिबन्ध रहेगा कि दो वर्ष के अन्दर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शें/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा। भू—स्वामित्व एवं किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।

अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अमिलेख नहीं माना जाग्रेगा।

अपर मुख्य अधिकारी. जिला पंचायत, लखनऊ।

विनाक /2 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि:-सचिव, उत्तर प्रदेश रेरा, लखनऊ को सूचनार्थ।

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।